# उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

परिवहन भवन टिहरी कोठी, लखनऊ – 226001
दूरभाषः पी.बी.एक्स- 2622363, 2627111
फैक्सः 0522-2615526, 2628841, 26235786

पत्रांक 209 मु0प्र0प्र0(संचा0)/कोविड–निर्देश/2020 दिनांकः 31.05.2020

1– समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक,
2– समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(डिपो)
उ0प्र0 परिहन निगम।

विषयः– कोरोना वायरस (कोविड–19) के लाकडाउन–5 चक्र में परिवहन निगम के व्यवसायिक नियमित संचालन हेतु कार्य योजना तथा अग्रिम दिशा–निर्देश विषयक।

कोरोना वायरस (कोविड–19) लाकडाउन–5 में उ0प्र0 सरकार द्वारा जारी शासनादेश सं0 1382/2020/सीएक्स–3 दिनांक 31 मई 2020 के द्वारा निर्गत गाइड लाइन/दिशा–निर्देश के क्रम में परिवहन निगम में यात्री बस संचालन दिनांक 01 जून 2020 से प्रारम्भ करने से पूर्व कोरोना वायरस (कोविड–19) के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए निम्नवत् तैयारियां पूर्ण कर बसों का संचालन सुनिश्चित किया जाये :–

1– परिवहन निगम द्वारा प्रदेश के अन्दर जनपदीय एवं अर्न्तजनपदीय मार्गों पर शत–प्रतिशत बस संचालन प्रारम्भ किया जाये। **(लोडफैक्टर 60 प्रतिशत लोडफैक्टर से कम मार्गों को छोड़कर)**

2– निगम संचालन से जुड़े समस्त स्टाफ की शत–प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाये।

3– बसों को उनकी सीट क्षमता के अनुसार ही यात्री यात्रा हेतु अनुमन्यता प्रदान की जाये। **किसी भी हालत में सीट क्षमता से अधिक या खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति न दी जाये।**

4– स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिगत् अतिरिक्त सर्तकता बरतते हुए यात्रियों से जुड़े प्रत्येक बिन्दु पर थर्मल गन की व्यवस्था की जाये। इससे बस स्टेशन पर आने वाले प्रत्येक यात्री की थर्मल स्कैनिंग कर सुरक्षा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। बस स्टेशनों पर आवागमन व प्रस्थान बिन्दु पर स्वास्थ्य जांच प्रभावी रूप से हो सके इसके लिए बस स्टेशन पर अन्य अनावश्यक खुले हुए स्थानों को बैरीकेडिंग के माध्यम से बन्द कराने का कार्य तत्काल सुनिश्चित किया जाये।

5– सभी बस स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा हेतु हैण्ड सैनिटाइजर, हैण्ड फ्री स्प्रे सैनिटाइजर तथा पैडल प्रेस सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाये। इस हेतु समस्त पब्लिक विन्डो पर 500 एमएल की हैण्ड सैनिटाइजर बोतल भी उपलब्ध कराई जाये।

6– परिवहन निगम के समस्त बस स्टेशन की नियमित सफाई एवं सैनिटाइजेशन का कार्य प्रत्येक 06 घन्टे पर सुनिश्चित कराया जाये।

7– समस्त गतिविधियों पर नजर रखने एवं प्रभावी मानीटरिंग को सुनिश्चित करने के लिए सम्पूर्ण बस स्टेशन परिसर को सीसीटीवी कैमरें की निगरानी में किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

8– बस स्टेशन पर "कोविड हैल्प डेस्क" स्थापित की गई है जहॉ पर 500 एमएल की सैनिटाइजर बोतल और थर्मल गन उपलब्ध रहे। कोरोना वायरस (कोविड–19) से बचाव एवं सावधानियों से सम्बन्धित जानकारी भी यहॉ से यात्रियों को दी जाये। बस स्टेशन पर उपलब्ध उदघोषणा संयत्र के माध्यम से लगातार कोरोना वायरस (कोविड–19) के सम्बन्ध में जानकारी का प्रसारण किये जाने के निर्देश दिये जाये। इसी प्रकार इससे सम्बन्धित प्रचार–प्रसार हेतु होर्डिंग, पोस्टर एवं बैनर भी लगाये जाये तथा प्रत्येक बस में दो स्टीकर, (01 यात्री प्रवेश गेट पर तथा दूसरा बस के अन्दर) लगाये जाये, यात्रियों से अपेक्षित फेस मास्क/कपड़े का गमछा पहनने तथा सीट पर बैठने एवं परिचालक के पास उपलब्ध हैण्ड सैनिटाइजर के प्रयोग करने की जानकारी उपलब्ध कराने के उददेश्य से चस्पा कराया जाये।

9– मार्ग संचालन पर जाने से पूर्व बस का शत–प्रतिशत सैनिटाइजेशन, परिचालक एवं चालक को फेस मास्क, ग्लब्स एवं 500 एमएल की सैनिटाइजर बोतल उपलब्ध हो यह सुनिश्चित किया जाये। बस संचालन से जुड़े परिचालक का यह दायित्व होगा कि बस में बैठने वाले प्रत्येक यात्री के हाथ को सैनिटाइजर से साफ

किया गया हो तथा प्रत्येक यात्री ने फेस मास्क पूर्ण यात्रा के दौरान लगा रखा हो। परिचालक को बस में बैठे प्रत्येक यात्री को "आरोग्य सेतु एप्प" की जानकारी देने एवं इसे अपनाने हेतु प्रेरित करने का दायित्व देते हुए निर्देशित किया जाये।

10–परिवहन निगम के आन डयूटी अधिकारियों एवं उपाधिकारियों को निर्धारित यूनीफार्म कोड, फेस मास्क एवं हैण्ड ग्लब्स (अनिवार्य रूप से), जम्प सूट, जैकेट को पहनकर ही डयूटी पर उपस्थित रहने हेतु निर्देश दिये जाये, जिससे यात्री को उन्हें चिन्हित कर उनसे सहयोग प्राप्त करना सरल होगा।

11–परिवहन निगम के मार्ग पर पड़ने वाले बस स्टेशन के समस्त अधिकृत कैंटीन एवं मार्ग पर अधिकृत अनुबन्धित फूड प्लाजा तथा ढ़ाबों को सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन्स एवं दिशा–निर्देश के क्रम में ही ढ़ाबे का संचालन करने हेतु निर्देश दिये जाये।

12– बस स्टेशन एवं बस स्टेशन के निकट के स्थान पर 108 एम्बुलेंस सेवा की उपलब्धता इस प्रकार की जाये कि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल प्रयोग की जा सके। इस हेतु जिला प्रशासन/मुख्य चिकित्साधिकारी से सम्पर्क कर सुनिश्चित कराया जाये।

13– बस स्टेशन पर यात्रियों के दृष्टिगत् अतिरिक्त सिक्योरिटी गार्ड को यात्री गेट पर डयूटी लगाई जाये तथा आवश्यकतानुसार जिला प्रशासन से निवेदन कर पुलिस फोर्स उपलब्ध करा ली जाये।

14–पूर्व से ही निर्धारित निर्देशों के अनुसार लम्बी दूरी की बसों का मार्ग पर जाने से पूर्व 13 बिन्दु परीक्षण अनिवार्य हो। लम्बी दूरी पर 02 चालक की तैनाती होगी एवं मार्ग पर जाने से पहले इन चालकों को स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य हो यह सुनिश्चित किया जाये।

15–निगम के मार्ग निरीक्षण एवं चेकिंग दल को यह दायित्व होगा कि वह लगातार अपनी टीम के साथ बस निरीक्षण के समय इन समस्त बिन्दुओं का भी निरीक्षण करेंगे एवं कोई अनियमितता होने पर उच्च प्रबन्धन को अवगत करायेंगे।

16–उक्त समस्त व्यवस्था को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने, दैनिक अनुश्रवण करने, उच्च प्रबन्धन को अवगत कराने तथा क्षेत्रीय अधिकारियों से समन्वय स्थापित करने के लिए मुख्यालय स्तर पर मुख्य प्रधान प्रबन्धक(संचालन) तथा मुख्य प्रधान प्रबन्धक(प्रावि0) की अनुश्रवण समिति तथा प्रत्येक क्षेत्र के नोडल अधिकारियों द्वारा प्रभावी रूप से कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है।

कृपया उपरोक्त आदेशों का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या सैनिटाइजेशन मानीटरिंग सेल को दैनिक रूप से प्रातः 11:00 बजे तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(डा0 राज शेखर)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः– <u>निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–</u>

1– समस्त जिलाधिकारी/पुलिस कमिश्नर/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को इस आशय से कि यात्रियों के दृष्टिगत मांग अनुसार पुलिस फोर्स बस स्टेशनों पर तैनात करने का कष्ट करें।
2– अपर प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
3– वित्त नियंत्रक, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
4– मु0प्र0प्र0(प्रशा0/संचा0/प्रावि0), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
5– समस्त नोडल अधिकारी को उपरोक्तानुसार अपने सम्बन्धित क्षेत्र से सम्बन्धित कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
6– सहायक प्रबन्धक, प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
7– चेकिंग सेल, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि समस्त चेकिंग दलों को उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए चेकिंग कार्य करेंगे।

(डा0 राज शेखर)
प्रबन्ध निदेशक